P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika
E: ISSN NO.: 2349-980X Vol-III* Issue-XI*July-2016

दहेज प्रथा : वैश्विक एवं भारतीय परिप्रेक्ष्य

अनीता सरोच
एसोसिएट प्रोफेसर,
समाजशास्त्र विभाग,
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
पालमपुर,हिमाचल प्रदेश

सारांश

दहेज एक विश्वव्यापी प्रथा है जिसका विश्व के विभिन्न भागों में प्रचलन रहा है। रोम, ग्रीक, चीन तथा भारतीय सभ्यताओं में प्राचीन काल से ही दहेज प्रथा रही है। यह एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीपों में विद्यमान रही है। एशिया तथा इसमें भी विशेषकर दक्षिण एशिया जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान तथा श्रीलंका शामिल हैं, यहाँ वर्तमान समय में दहेज एक समस्या का रूप धारण कर चुकी है। जहाँ तक भारत का सम्बन्ध है यहाँ उत्तरवैदिक काल में वस्तुओं का लेन–देन प्रारम्भ हुआ। जिसे वहतु कहा जाता था । मध्यकाल में विवाह के अवसर पर वहतु को स्त्रीधन और बाद में दहेज के नाम से जाना जाने लगा। वर्तमान समय में दहेज प्रथा एक ऐसी बुराई व समस्या बनकर उभरी जिसे रोकने के लिए 1961 में दहेज प्रतिबंध अधिनियम बनाया गया। कानूनी प्रतिबन्ध के बावजूद दहेज प्रथा भारत में अभी भी विद्यमान है।

मुख्य शब्द : दहेज, स्त्रीधन, वैश्विक प्रचलन, दहेज प्रतिबन्ध अधिनियम

प्रस्तावना

दहेज ऐसी सम्पत्ति है जिसे विवाह के समय वधू के परिवार की तरफ से वर को दिया जाता है। संस्कृत में दहेज के लिए समानार्थी शब्द **'दायज'** है। 'दायज का सही अर्थ है –उपहार या दान। दहेज वस्तुतः विवाह के अवसर पर कन्यापक्ष की ओर से स्वेच्छा और संतोष के साथ वर को दिया जाने वाला उपहार है। भारत में इसे दहेज, हुँडा, या वरदक्षिणा के नाम से भी जाना जाता है। वधू के परिवार द्वारा नकद या वस्तुओं के रूप में यह वर के परिवार को वधू के साथ दिया जाता है। हिन्दी में स्थानीय स्तर पर दहेज कहा जाता है। दाहेज, उर्दू और अरबी में Jehaz, मंदारिन में Jiazhuang, तुर्की में Ceyiz, फ्रेंच में डॉट[1] और Serotwana के रूप में अफ्रीका के विभिन्न भागों में Idana, Saduquat या Mudgtat [2 3 4] जाना जाता है। दहेज के अर्थ को स्पष्ट करते हुए दहेज प्रतिबन्ध अधिनियम 1961 में लिखा है" कोई सम्पत्ति या बहुमूल्य प्रतिभूति देने या लेने के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में विवाह के एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को या अभिभावक को विवाह के समय या पहले या बाद में देने–लेने की सहमति होना दहेज है।

दहेज की उपर्युक्त परिभाषा से दहेज सम्बन्धी निम्नवत् बातें सामने आती हैं।

1. दहेज सम्पत्ति यश बहुमूल्य प्रतिभूति है।
2. दहेज का सम्बन्ध विवाह के दोनों पक्षों लड़के व लड़की वालों से है।
3. दहेज का सम्बन्ध लड़के–लड़की, उनके घर वालों या अभिभावकों के बीच सम्पत्ति के लेनदेन से है।
4. धन सम्पत्ति का लेन–देन विवाह से पूर्व, विवाह के दौरान या विवाह के पश्चात हो सकता है।

दहेज का वैश्विक प्रचलन (Global Prevalence of Dowry)

दहेज का विश्व के विभिन्न महाद्वीपों में प्रचलन रहा है। इस तथ्य को जानने के लिए विश्व के प्रमुख देशों जहाँ दहेज लेने देन की प्रथा रही है उनका वर्णन निम्नलिखित है।

यूरोप (Europe)

यूरोप महाद्वीप के अनेक देशों में प्राचीनकाल से दहेज प्रथा प्रचलित रही है जिनमें से कुछेक देशों की दहेज प्रथा का संक्षिप्त वर्णन निम्नवत् है।

इंग्लैंड (England)

यहां प्राचीन काल से आधुनिक युग के आरम्भ तक दहेज प्रथा विद्यमान रही है। विवाह से पूर्व ही दहेज में क्या दिया जाए यह सब तय हो जाता था और स्वीकृत दहेज न दिए जाने पर विवाह सम्बन्ध समाप्त समझा जाता था। इंग्लैण्ड के विश्वविख्यात विद्वान शेक्सपियर ने अपनी सुप्रसिद्ध रचना 'King Lear' में इंग्लैण्ड की दहेज प्रथा का उल्लेख किया है।

फ्रांस (France)

फ्रांस के समाज में दहेज दिया जाता रहा है। लोककथावाचक (Folklorists) यहां दहेज के प्रचलन संबंधी कई कहानियां सुनाते हैं। इनमें से डॉन मैग्निफिको (Don Magnifico) की यहां कहानी महत्त्वपूर्ण है जिसमें वह अपनी पुत्री को अधिक से अधिक दहेज देना चाहता है ताकि बेहतर जीवनसाथी पाया जा सके।[5]

ग्रीक (Greece)

प्राचीन ग्रीक में विवाह में दुल्हन की कीमत (Bride Price) की परम्परा थी। यहाँ दहेज का प्रचलन 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान से रहा है। पति को अपनी पत्नी के दहेज की सम्पत्ति पर कुछेक अधिकार होते थे। इसके साथ ही पत्नी अपने विवाह में दहेज के अतिरिक्त अपनी सम्पत्ति भी ला सकती थी। यह सम्पत्ति दहेज में शामिल नहीं थी। इस सम्पत्ति पर केवल पत्नी का अधिकार होता था। "दहेज पत्नी के साथ पति तथा उसके परिवार के सदस्यों के द्वारा किये जाने वाले संभावित दुर्व्यवहार के समय उसकी सुरक्षा के लिए प्रयोग होता था।"[6] पति को पत्नी को नुक्सान न पहुंचाने के लिए प्रेरित किया जाता था। वहाँ यह प्रचलन था जब दुल्हन की मृत्यु हो जाती थी तो उसके साथ आया दहेज उसके माता पिता को वापिस कर दिया जाता था। समकालीन ग्रीस में **परिवार कानून (Family Law 1983)** में कानूनी सुधारों के माध्यम से दहेज को हटा दिया गया।

रोमन (Roman)

रोमनवासियों में भी दहेज का प्रचलन प्राचीन समय से पाया जाता रहा है। दहेज ऐसी सम्पत्तिथी जो "विवाह के समय दुल्हन द्वारा दूल्हे के पिता या किसी और सम्बन्धी को हस्तान्तरित की जाती थी।"[7] रोमन समय में दहेज एक बहुत ही सामान्य संस्था थी। दहेज का आरम्भ प्रारम्भिक समय में दुल्हन के परिवार के द्वारा दूल्हे के घर–परिवार को बसाने के लिए प्रयोग किया जाता था।

उत्तरी अमेरिका महाद्वीप(North American Continent)

उत्तर अमेरिकी महाद्वीप में भी दहेज प्रथा का चलन रहा है। यहाँ के सबसे बड़े समाज अमेरिका में प्रचलित दहेज प्रथा कां वर्णन निम्नोक्त है

अमेरिका (America)

अमेरिका में दहेज 19वीं शताब्दी के दौरान भी एक सामान्य बात थी। एक नृवंशाविज्ञान के अध्ययन (Enthrographic Study)के अनुसार उत्तरी अमेरिका की स्वदेशी संस्कृतियों में लगभग 6 प्रतिशत परिवारों के मध्य दूल्हे एवं दुल्हन दोनों को पारस्परिक रूप से उपहारों के आदान–प्रदान की व्यवस्था थी। अमेरिका के मैदानी भागों में रहने वाली जनजातियों के बीच 'दहेज' शब्द का प्रयोग किया जाता था। दुल्हन दूल्हे को उपहार देती थी तथा बदले में दूल्हा दुल्हन के माता–पिता को घोडों का उपहार देता था।[8]

दक्षिण अमेरिका महाद्वीप(South AmericanContinent)

दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के अनेक देशों में दहेज प्रथा विद्यमान रही है जिनमें सेकुछ समाजों का उल्लेख निम्नवत् हैं

मैक्सिको (Mexico)

अठारहवीं शताब्दी के मध्य तक मैक्सिको में दहेज प्रथा प्रचलित रहीं है। महिला का अपने दहेज के ऊपर पूर्ण नियन्त्रण होता था।[9] पति–पत्नी (Couple) के भले के लिए निवेश करने के लिए पत्नी पति को दहेज में से कुछ धन दे देती थी। महिलाएं अपने दहेज का उपयोग खुद व्यापार करने के लिए करती थीं। मूलतः मैक्सिको में दहेज प्रथा स्पेन से आई।

ब्राजील (Brazil)

पुर्तगालियों (Portugese) के ब्राजील आने से इस देश में दहेज का प्रचलन आरम्भ हुआ। लडकियों को विवाह के समय दहेज दिया जाता था। दहेज में दिए जाने वाली धन सम्पत्ति के आकार सम्बन्धी निम्नोक्त प्रचलन थे।[10]

1. सबसे बडी लड़की को सर्वाधिक तथा अन्य पुत्रियों को उससे कम दहेज देना।
2. छोटी से बड़ी पुत्री को अधिक दहेज देना।
3. बेटियों की आयु के आधार पर दहेज की राशि में कोई पक्षपात न करना।

दहेज के अतिरिक्त लड़कियों को पिता की और से उत्तराधिकार में भी सम्पत्ति दी जाती थीं।

अफ्रीका महाद्वीप (African Continent)

अफ्रीकी देशों में दहेज दिया–लिया जाता है जिसमें से मिस्त्र में दहेज का वर्णन महत्वपूर्ण है।

मिस्र (Egypt)

मिस्र में दहेज को गेहाज (Gehaz) कहते हैं। दहेज[11] में फर्नीचर, बर्तन, गहने तथा घरेलू उपयोग की अन्य वस्तुएं दी जाती हैं। दहेज का ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में प्रचलन है। विवाह से वर्षों पूर्व ही दहेज का लेन–देन आरम्भ हो जाता है। दहेज में क्या सब लिया–दिया जाए इस बारे में वर–वधू दोनों पक्षों में आपसी बातचीत (Negotiation) होती है।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि दहेज प्रथा किसी–न–किसी रूप में पूरे विश्व में प्रचलित रही है।

एशिया महाद्वीप (Asia Continent)

जनसंख्या तथा आकार के हिसाब से एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। यहाँ प्रचलित दहेज प्रथा का वर्णन दो भागो में बांट कर किया गया है।

चीन (China)

ऐतिहासिक समय से लेकर वर्तमान समय तक चीन में दहेज एक ममान्य प्रथा रहीं है। चीन में स्थानीय भाषा में दहेज को जयजहैग (Jaizhung) के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर दहेज में भूमि, गहने, पैसा जिसका प्रयोग कपड़े खरीदने, सिलाई के लिए साधन एकत्रित करने तथा अन्य घर की वस्तुओं को खरीदने के लिए प्रयोग किया जाता है। मान तथा अन्य विचारकों (Manns & Other thinkers) ने अपने अध्ययन में यह माया कि दहेज कि लड़कियों को वंशानुक्रमण (Inharitance)के रूप में दिया जाता था।[12] परम्परागत चीन में परिवार की सम्पत्ति वंशानुक्रमण के रूप में बेटों में बराबर हिस्सों में बांटी जाती थी। दहेज केवल एक ऐसा माध्यम था जिसके द्वारा लड़कियों को सप्पत्ति दी जाती थी। दहेज में चल/अचल (Moveable and Immovable) दोनों प्रकार की सम्पत्ति शामिल होती थी। परची अपनी सम्पत्ति जो

दहेज में मिली है उसे अपनी व अपने बच्चों तथा पति को आवश्यकता को पूरा करने के लिए बेच सकती है। कई जगह पर अपने साथ लाए दहेज को वह अपनी बेटी या बहू को भी हस्तान्तरित कर देती है। चीन की संस्कृति में वह स्त्री जो अधिक दहेज साथ लाई है उसको अधिक सम्मान दिया जाता है और जिसके साथ दहेज नहीं आया है उसको कम सम्मान मिलता है। अतः चीन में प्राचीन समय से लेकर 20 वीं शताब्दी तक दहेज और दुल्हन मूल्य दोनों का ही प्रचलन रहा हैं।

दक्षिण एशिया (South Asia)

भारत, बाग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका तथा अफगानिस्तान दक्षिण एशिया के महत्त्वपूर्ण देश हैं। इन सब देशों में वर्तमान समय में दहेज प्रथा का प्रचलन है।

भारत (India)

भारत में दहेज प्रथा एक समस्या का रूप धारण कर चुकी है। दहेज में माता–पिता की ओर से पुत्री के विवाह पर उसे दिए जाने वाला धन तथा अन्य उपहार सम्मिलित हैं। स्वेच्छापूर्ण दिए जाने वाला दहेज माँ–बाप पर आर्थिक बोझ तथा मजबूरी का रूप धारण कर चुका है। इस प्रथा की अनुपालना करने के चक्कर में गरीब माता–पिता पर कर्ज का बोझ बढ़ता जाता है। यह समस्या गम्भीर रूप तव धारण कर लेती है जब लड़के वाले प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से दहेज की माँग करते हैं। विवाह के पश्चात् दहेज को लेकर लड़की को ताने मारने लगते हैं। यही कारण है कि दहेज से सम्बन्धित देश में निम्नोक्त कानून बनाए गए है

1. Dowry Prohibition Act, 1961
2. Dowry & Bridal Gift Restrictions Rules, 1976.
3. Dowry Prohibition (Maintenance of Lists of presents to Bride and Bridegroom) Rules, 1985.

भारत में दहेज देना, दहेज लेना, दहेज की मांग करना कानूनी अपराध हैं। इसके बावजूद यहाँ दहेज प्रथा बदस्तूर जारी है।

.बांग्लादेश (Bangladesh)

लड़की के विवाह में बंग्लादेश[13] में मूलतः वधूमूल्य (Bride Price) दिया जाताथा। 1960 के दशक के पश्चात् इसने दहेज का रूप धारण कर लिया। इस देश में भी दहेज प्रथा एक समस्या बन गई है। दहेज के नाम पर महिलाओं के साथ गाली–गलौच, उनको पीटना, उन पर एसिड (Acid) तक फेंकने की घटनाएं होती रहती हैं। इस देश में दहेज के लिए याक से महिलाओं पर हमला या उन्हें जहर देने की घटनाएं आम बात है। यही कारण है कि दहेज प्रथा को रोकने के लिए दहेज प्रतिबन्ध अधिनियम (Dowry Prohibition Act, 1980) बनाया राया जिसे समय–समय पर संशोधित किया गया। दहेज की मांग करना कानूनन जुर्म है परन्तु अपराधी को सजा का प्रावधान नहीं है।

पाकिस्तान (Pakistan)

इस देश में दहेज के कारण दुनिया में सबसे अधिक मौते होती हैं। यहाँ मुस्लिम समुदाय में दहेज को इस्लाम की अनिवार्य प्रथा (Practice) माना जाता है। पाकिस्तान में दहेज प्रथा ने भयानक रूप धारण कर लिया है। इसलिए इस कुप्रथा को रोकने के लिए इस देश में कई कानून बनाए गए हैं।[14]

नेपाल, श्रीलंका तथा अफगानिस्तान (Nepal, Srilanka and Afganistan)

भारत की तरह नेपाल में भी दहेज प्रथा एक समस्या है। यहाँ दहेज के कारण हिसा निरन्तर बढती जा रही है। श्रीलंका में दहेज प्रथा विद्यमान है परन्तु यहाँ दहेज के कारण हिंसा की घटनाएं अधिक नहीं होती। अफगानिस्तान में दहेज काप्रचलन है। दहेज के अतिरिक्त इस देश में वधुमूल्य का भी प्रचलन है। पीटर कहते हैं "वधु द्वारा लाए जाने वाले दहेज के स्वरूप पर उसका ससुराल में मान–सम्मान निर्भर करता है।"[15]

भारत में दहेज प्रथा की उत्पत्ति (Origin of Dowry System in India)

विवाह भारत की मूलभूत सामाजिक संस्था है। दहेज की उत्पत्ति भारतीय समाज के प्राचीन काल में प्रचलित कन्यादान तथा वर दक्षिणा में खोजी जा सकती है। कन्यादान विवाह का अभिन्न अंग है। कन्यादान करते समय वर (दूल्हे) को वधू (दुल्हन) के पिता द्वारा कुछ उपहार दिया जाता है। कन्यादान अनुष्ठान तभी पूरा माना जाता है जब कन्या के मिल/संरक्षक (Father/Guardian) दूल्हे को दक्षिणा देते है। दक्षिणा धन या वस्तु के रूप में होती है। इसे वर दक्षिणा (Var Dakshina) कहते हैं। वर दक्षिणा स्वेच्छा तथा प्रेमपूर्वक दिया जाने वाला उपहार माना जाता रहा है। इसे देने में मजबूरी (Compulsion) या बन्धन (Obligation) नहीं होता। वैदिक समय में वर दक्षिणा के रूप में उपहार देने का प्रचलन बाद में मजबूरी का रूप धारण कर गया। यही उपहार देने की परम्परा दहेज में परिवर्तित हो गई। इस प्रकार भारत में विवाह में कन्यादान, कन्यादान के दौरान वरदक्षिणा तथा वर दक्षिणा से दहेज प्रथा उत्पन्न हुई। दहेज प्रथा की उत्पत्ति को दर्शाते इस चित्र से पता चलता है कि इसका उद्गम स्त्री–पुरुष के विवाह रूपी पवित्र बन्धन में बन्धने में छिपा है। यह 2 का अंक यह दर्शाता है कि विवाह दो पक्षों के बीच सम्बन्ध है। इसके अन्तर्गत एक पक्ष (वधू के पिता) दूसरे पक्ष (वर को) कन्यादान करते हैं अर्थात् एक पक्ष दूसरे पक्ष को वर दक्षिणा देता है। इस दान–दक्षिणा ने दहेज का रूप ग्रहण कर लिया है। दहेज प्रथा ने दो पक्षों के बीच बाध्यता का रूप धारण कर लिया है। स्त्री पक्ष का दहेज देने के लिए बाध्य होना या फिर पुरुष पक्ष द्वारा स्त्री पक्ष को दहेज देने के लिए बाध्य करना। इससे दो व्यक्तियों (पति–पत्नी), दो परिवारों तथा दो नातेदारियों में विवाह रूपी प्रेम सम्बन्ध कड़वाहट में बदल जाता है जिसके चलते विवाह–विच्छेद, घरेलू हिंसा, पत्नी को पीटना, हत्या तथा आत्महत्या जैसी कई सामाजिक बुराइयां जन्म लेती हैं। हजारों बहुएँ/स्त्रियाँ दहेज के नाम पर असामयिक मृत्यु को प्राप्त होती हैं। ये सब दक्षिणा से दहेज की यात्रा के दुष्परिणाम हैं।

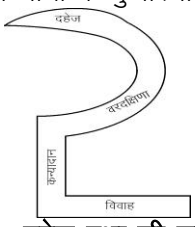

चित्र : दहेज प्रथा की उत्पत्ति
(Figure : Origin of Dowry System)

भारतीय समाज में दहेज प्रथा का इतिहास[16]
(History of Dowry System in Indian Society)

प्राचीन समय से ही भारतीय समाज में कई प्रकार की प्रथाएँ विद्यमान रही हैं जिनमें से अधिकांश परंपराओं का सूत्रपात (Beginning) किसी अच्छे उद्देश्य से किया गया था। समय बीतने के साथ–माथ इन प्रथाओं की उपयोगिता पर भी प्रश्नचिह्न लगता गया। दहेज प्रथा ऐसी ही एक कुरीति बनकर उभरी है जिसने न जाने कितने ही परिवारों को अपनी चपेट में ले लिया है। इस प्रथा के अन्तर्गत युवती का पिता उसे ससुराल विदा करते समय उपहार (Gift) और कुछ धन देता है, अब यही धन वैवाहिक संबंध तय करने का माध्यम बन गया है। वर पक्ष के लोग मुंहमांगे धन की आशा करने लगे हैं जिसके न मिलने पर स्त्री का शोषण होना, उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाना कोई बड़ी बात नहीं है। यही करण है कि हर विवाह योग्य युवती के पिता को यही डर सताता रहता है कि अगर उसने दहेज देने योग्य धन संचय नहीं किया तो उसकी बेटी के विवाह में परेशानियां तो आएंगी ही, साथ ही ससुराल में भी उसे आदर नहीं मिल पाएगा। इतिहास के पन्नों पर नजर डालें (glance through the pages of history) तो यह प्रमाणित होता है कि दहेज का जो रूप आज हम देखते हैं ऐसा पहले नहीं था। उत्तरवैदिक काल में प्रारम्भ हुई यह परंपरा आज अपने घृणित रूप में हमारे सामने खड़ी है। दहेज प्रथा के औचित्य और उद्देश्य में जो महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं उन्हें निम्नलिखित कालांतरों के माध्यम से बेहतर समझा जा सकता है–

उत्तरवैदिक काल (Post Vedic Period)

ऋग्वैदिक काल (Rig Vedic Period)में दहेज प्रथा की कोई मान्यता (Recognisation) नहीं थी। **अथर्ववेद** के अनुसार उत्तरवैदिक काल में **वहतु** के रूप में इस प्रथा का प्रचलन शुरु हुआ जिसका स्वरूप वर्तमान दहेज व्यवस्था से पूरी तरह भिन्न था। इस काल में युवती का पिता उसे पति के घर विदा करते समय कुछ तोहफे देता था, लेकिन उसे दहेज नहीं मात्र उपहार (Gifts) माना जाता था। यह पूर्व निश्चित (Pre-decided) नहीं होता था। उस समय पिता को जो देना सही लगता था वह अपनी इच्छा से दे देता था जिसे वर पक्ष सहर्ष स्वीकार कर लेता था। इसमें न्यूनतम या अधिकतम जैसी कोई सीमा निर्धारित नहीं थी। इस वहतु पर पति या ससुराल वालों का अधिकार नहीं होता था बल्कि यह उस संबंधित स्त्री के लिए उपहार होता था। इस काल में लिखे गए धर्म ग्रन्थों और पौराणिक कथाओं में कहीं भी दहेज से संबंधित कोई भी प्रसंग नहीं उल्लेखित किया गया।

मध्यकाल (Medival Period)

मध्य जाल में इस **वहतु को स्त्रीधन** के नाम से पहचान मिलने लगी, इसका स्वरूप वहतु के ही समान था। पिता अपनी इच्छा और काबलियत के अनुरूप धन या उपहार देकर बेटी को विदा करता था। इस स्त्रीधन से ससुराल पक्ष का कोई संबंध नहीं होता था लेकिन इसका स्वरूप पहले की अपेक्षा थोड़ा विस्तृत हो गया था। अब विदाई के समय धन को भी महत्व दिया जाने लगा था। विशेषकर राजस्थान के उच्च और सम्पन्न राजपूतों ने इस प्रथा को अत्यधिक बढ़ावा दिया। इसके पीछे उनका मंतव्य ज्यादा से ज्यादा धन व्यय कर अपनी प्रतिष्ठा बढाना था। यहीं से इस प्रथा की शुरुआत हुई जिसमें स्त्रीधन शब्द पूरी तरह गौण हो गया। और दहेज शब्द की उत्पत्ति (Origin of the word Dowry) हुई।

आधुनिक काल (Modern Period)

वर्तमान समय में दहेज व्यवस्था एक ऐसी प्रथा का रूप ग्रहण कर चुकी है जिसके अन्तर्गत युवती के माता–पिता और परिवार वालों का सम्मान दहेज में दिए गए धन दौलत पर ही निर्भर करता है। इस व्यवस्था ने समाज के सभी वर्गों को अपनी चपेट में ले लिया है। सम्पन्न परिवारों को शायद लगता है कि धन और उपहारों के साथ बेटी को विदा करेंगे तो यह उनके मान–सम्मान को बढ़ाने के साथ–साथ बेटी को भी खुशहाल जीवन देगा, लेकिन निर्धन अभिभावकों के लिए बेटी का विवाह करना बहुत भारी पड़ जाता है। वह जानते हैं कि अगर दहेज का प्रबन्ध नहीं किया गया तो विवाह के पश्चात बेटी का ससुराल में जीना तक दूभर बन जाएगा।

दहेज प्रथा के कारण (Causes of Dowry System)

भारतीय समाज में दहेज प्रथा के विकास तथा प्रचलन के प्रमुख कारणों का संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित है

पितृसत्तात्मक व्यवस्था (Patriarchal System)

आर्यों की पितृसत्तात्मक–व्यवस्था में विवाह के बाद पति के परिवार में जाने वाली कन्या का पिता की संपत्ति से संबंध टूट जाता था। पिता की संपति पर पूरा अधिकार पुत्रों का ही होता था। इस कारण से विवाह के अवसर पर कन्या पक्ष यथाशक्ति अपनी संपत्ति का एक भाग वर पक्ष को देता था, ताकि कन्या सुखी रह सके। सन् 1956 में बने **हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 (Hindu Succession Act 1956)** के पश्चात् लड़की को मायके (Parents) में सम्पति का अधिकार प्राप्त हुआ। इसलिए पितृसत्तात्मक परिवार व्यवस्था में दहेज के प्रचलन का तर्क उचित लगता है।

जाति व्यवस्था (Caste System)

दहेज प्रथा के प्रचलन के लिए जाति व्यवस्था भी जिम्मेदार है। इस सम्बन्ध में स्टेनली जे० ताम्बिया (Stanley J. Tambiah) का दावा है, प्राचीन मनु सहिता के अनुसार प्राचीन भारत में दहेज तथा वधू सम्पति (Bride Wealth) की अनुमति था। दहेज प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता था और इसका सम्बन्ध ब्राह्मण (पुरोहित) जाति से था।[17] इससे पता चलता है कि उच्च जातियों में प्राचीन काल में दहेज प्रथा प्रचलित थी।

कानूनी अधिकार (Legal Right)

परसियन विद्वान् (Persian Scholar) अल बेरुनी (Al Beruni) 11वीं शताब्दी में (1017 onwards) भारत में 36 वर्ष तक रहे। वे कहते हैं,"पुत्री को पिता से उत्तराधिकार का कानूनन अधिकार था परन्तु यह भाई से एक–चौथाई भाग होता था।बेटी विवाह के समय उत्तराधिकार में प्राप्त धन राशि को अपने साथ ससुराल ले जाती थी। तत्पश्चात् उसे अपने पिता की सम्पति में कोई अधिकार नहीं होता था अर्थात् विवाह के समय पुत्री को जो कानून रूप से पिता की ओर से धन मिलता था वह वधुपक्ष की और से वर पक्ष के लिए दहेज का ही रूप था।[18]

धार्मिक कारक (Religious Factors)

कन्यादान प्राचीनकाल से ही विवाह का अभिन्न अंग रहा है। कन्यादान के समय कन्या के पिता वर को वर दक्षिणा के रूप में कुछ उपहार देते हैं। यही उपहार जिसे स्वेच्छा पुण्य कार्य समझ कर प्रेम भाव से दिया जाता था। धीरे–धीरे वर्तमान दहेज का रूप बन गया।

परम्पराओं का दबाव (Pressure of Traditions)

दहेज परम्परा भारत में किसी न किसी रूप में हजारों वर्षों से प्रचलित थी। चाहे यह पितृसत्तात्मक परिवार व्यवस्था के कारण थी या पितृस्थानीय (Patrilocal) परिव्यवस्था के करण इसका प्रचलन उच्च जातियों में था या फिर इसके कानूनी कारण थे। पीढ़ी–दर–पीढ़ी (Generation to Generation) इसके प्रचलन से इसने परम्परा का रूप धारण कर लिया। परम्परा का अनुसरण करना, इसके प्रचलन को जारी रखना, इसे अपनाए रखना आदि भाव–सोच से आम जनमानस पर एक दबाव उत्पन्न करता है। परम्परा का निर्वाह करते रहना ताकि लोग निन्दा, चर्चा, हास्य, व्यंग्य आदि न करें। दहेज प्रथा के प्रचलन का भहत्त्वपूर्ण कारण है।

विनिमय (Reciprocity)

भारतीय समाज में व्यवहारिक जीवन ने दहेज परम्परा को बनाए रखने में सहायता की है। लड़के के विवाह में इसलिए भी दहेज को स्वीकार कर लिया जाता है क्योंकि लड़के वाले भी जब बेटी का विवाह करते हैं तो उन्हें भी दहेज देना पड़ता है। ऐसे परिवार से सम्बन्धित लोग विनिमय या आदान–प्रदान के आधार पर दहेज प्रथा को न्यायसंगत व तर्कसंगत (Justify) मान लेते हैं।

दहेज बीमे के रूप में (Dowry as an Insurance)

विवाह के उपरान्त स्त्री के लिए दहेज एक प्रकार का बीमा है। किन्हीं कारणों से पति की मृत्यु होने के पश्चात् दहेज के रूप में मिली सम्पत्ति से वह स्वयं व बच्चों का गुजर–बसर करती है। विशेषतः बाल–विधवा होने पर दहेज ही बीमा होता है। क्योंकि परम्परा अनुसार विधवा पुनर्विवाह की मनाही रही है।

दहेज के विरुद्ध कानून (Anti Dowry Law)

दहेज प्रतिबंध अधिनियम, 1961, (Dowry Prohibition Act, 1961)[19] में दहेज का अर्थ, इसके लेन–देन पर प्रतिबन्ध तथा इस कानून का उलंघन करने पर सजा के प्रावधानों का सविस्तार वर्णन है। इसमें लिखा है 'दहेज' का मतलब है कोई सम्पत्ति या बहुमूल्य प्रतिभूति देना या देने के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से :

1. विवाह के एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को (या
2. विवाह के किसी पक्षकार के अविभाज्य, या दूसरे व्यक्ति द्वारा विवाह के किसी पक्षकार को विवाह के समय या पहले या बाद देने या देने के लिए सहमत होना लेकिन जिन पर मुस्लिम विधि लागू होती है उनके संबंध में यह दहेज में शामिल नहीं होगा।

दहेज निषेध अधिनियम, 3963 के अनुसार दहेज लेने, देने या इसके लेन–देन में सहयोग करने पर 5 वर्ष की कैद और 15,000 रूपए के जुर्माने का प्रावधान है।

दहेज के लिए उत्पीड़न करने पर भारतीय दंड सहिता की धारा 498–ए जोकि पति और उसके रिश्तेदारों द्वारा सम्पत्ति अथवा कीमती वस्तुओं के लिए अवैधानिक मांग के मामले से संबंधित है, के अन्तर्गत 3 साल की कैद और जुर्माना हो सकता है।

धारा 406 के अन्तर्गत लड़की के पति और ससुराल वालों के लिए 3 साल की कैद अथवा जुर्माना या दोनों, यदि वे लड़की के स्त्रीधन को उसे सौंपने से मना करते हैं।

यदि किसी लड़की की विवाह के सात साल के भीतर असामान्य परिस्थितियों में मौत होती है और यह साबित कर दिया जाता है कि मौत से पहले उसे दहेज के लिए प्रताडित किया जाता था, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 304–बी के अन्तर्गत लड़की के पति और रिश्तेदारों को कम–से–कम सात वर्ष से लेकर आजीवन कारावास की सजा हो सकती है।

दहेज प्रथा को रोकने के लिये दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 बनाया गया है पर यह कारगर सिद्ध नहीं हुआ है। इसकी कमियों को दूर करने के लिये फौजदारी (दूसरा संशोधन) अधिनियम 1986 के द्वारा, मुख्य तौर से निम्नलिखित संशोधन किये गये हैं :[20]

भारतीय दण्ड संहित्ता में धारा 419–क जोडी गयी

साक्ष्य अधिनियम में धारा 113–क, यह धारा कुछ परिस्थितियों दहेज मृत्यु के बारे में संभावनाएं पैदा करती हैं, दहेज प्रतिषेध अधिनियम को भी संशोधित कर मजबूत किया गया है।

पर क्या केवल कानून बदलने से दहेज की बुराई समाप्त हो सकती है। शायद नहीं। यह तो तभी समाप्त होगी जब हम दहेज मांगने या देने या लेने से मना करें। उच्चतम न्यायालय ने भी 1993 में कुण्डला बाला सुब्रमण्यम प्रति आंध्र प्रदेश राज्य में कुछ सुझाव दिये हैं। न्यायालय ने कहा, "दहेज की बुराई केवल कानून से दूर नहीं की जा सकती है। हस बुराई पर जीत पाने के लिये सामाजिक आंदोलन की जरूरत है। खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्र मे, जहाँ महिलाएं अनपढ़ हैं और अपने अधिकारों को नहीं जानती हैं। वे आसानी से इसके शोषण की शिकार बन जाती हैं।"[21] न्यायालयों को इस तरह के मुकद्दमे तय करते समय व्यावहारिक तरीका अपनाना चाहिये ताकि अपराधी, प्रक्रिया सम्बन्धी कानूनी बारीकियों के कारण या फिर गवाही में छोटी–मोटी कमी के कारण न छूट पाये। जब अपराधी छूट जाते हैं तो वे प्रोत्साहित होते हैं और आहत महिलाएं हतोत्साहित। महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मुकद्दमे तय करते समय न्यायालयों को संवेदनशील होना चाहिए। इस मुकद्दमे में परीक्षण न्यायालय ने दोषी को छोड़ दिया था। यह दर्शाता है कि न्यायालय संवेदनशील नहीं हैं।[22]

धारा–3

दहेज लेने या देने का अपराध करने वाले को कम से कम पाँच वर्ष के कारावास साथ में कम–से–कम पन्द्रह हजार रुपये या उतनी राशि जितनी कीमत उपहार की हो, इनमें से जो भी ज्यादा हो, के जुर्माने की सजा दी जा सकती है। लेकिन शादी के समय वर या वधू को जो उपहार दिया जाएगा और उसे नियमानुसार सूची में अंकित किया जाएगा वह दहेज की परिभाषा से बाहर होगा।

धारा–4

यदि किसी पक्षकार के माता–पिता, अभिभावक या रिश्तेदार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दहेज की मांग करते हैं तो उन्हें कम–से–कम छः मास और अधिकतम दो वर्षों के कारावास की सजा और दस हजार रुपये तक जुर्माना हो सकता है।

धारा–4 ए

किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रकाशन या मीडिया के माध्यम से पुत्र–पुत्री के शादी के एवज में व्यवसाय या सम्पति या हिस्से का कोई प्रस्ताव भी दहेज की श्रेणी में आता है तो उसे भी कम–से–कम छः मास और अधिकतम पाँच वर्ष के कारावास की सजा तथा पन्द्रह हजार रुपये तक जुर्माना हो सकता है।

धारा 6

यदि कोई दहेज विवाहिता के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति द्वारा धारण किया जता है तो दहेज प्राप्त करने के तीन माह के भीतर या औरत के नाबालिग होने की स्थिति में उसके बालिग होने के एक वर्ष के भीतर उसे अंतरित कर देगा। यदि महिला की मृत्यु हो गयी हो और संत्तान नहीं हो तो अविभावक को दहेज अन्तरण किया जाएगा और यदि संतान है तो संत्तान को अन्तरण किया जाएगा।

धारा 8 ए

यदि घटना से एक वर्ष के अन्दर शिकायत की गयी हो तो न्यायालय पुलिस रिपोर्ट या क्षुब्ध द्वारा शिकायत किये जाने पर अपराध का संज्ञान ले सकेगा। दहेज निषेध पदाधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी जो बनाये गये नियमों का अनुपालन कराने या दहेज की माँग के लिए उकसाने या लेने से रोकने या अपराध कार्य करने से संबंधित साक्ष्य जुटाने का कार्य करेगा।

दहेज प्रथा रोकने के उपाय[23]
(Remedies Against Dowry System)

भारतीय समाज के सभी वर्गों में फैली दहेज प्रथा ने एक कुप्रथा का रूप धारण कर लिया है। इस कुरीति से छुटकारा पाने के लिए स्वतन्त्रता के उपरान्त ही ठोस कदम उठाए जाने लगे। दहेज प्रथा को रोकने के लिए किए गए प्रयासों को अग्रलिखित दो भागो में बाँटा जा सकता है

1. दहेज प्रथा रोकने के लिए किए गए प्रयास (Efforts done to stop Dowry System)
2. दहेज प्रथा रोकने के लिए सुझाव (Suggestions to stop Dowry System)

दहेज प्रथा रोकने के लिए किए गए प्रयास
(Efforts Done To Stop Dowry System)

दहेज प्रथा को रोकने के लिए स्वतन्त्रता के पश्चात् कई कदम उठाए गए जिनका संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित है।

महिलाओं के लिए सम्पत्ति का अधिकार
(Right to Property to Women)

स्वतन्त्रता से पूर्व प्रचलित कानूनों में महिलाओं को अपने माता–पिता की सम्मत्ति में अधिकार नहीं होता था। आर्थिक क्षेत्र में स्त्रियों तथा पुरुषों को समानता प्रदान करने के लिए एक महत्त्वपूर्ण सामाजिक विधान (Social legislation) पारित किया गया। इसे हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम (Hindu Succession Act) 1955 के नाम से जाना जाता है। इस विधान द्वारा स्त्रियों को पुरुषों को तरह सम्पति का अधिकार प्रदान किया गया त्ताकि विवाह के समय उन्हें दहेज के रूप में आर्थिक बीमा सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता न पड़े।

दहेज के विरुद्ध कानून (Anti Dowry Law)

सन् 1961 में दहेज प्रथा रोकने के लिए एक बडा कदम उठाया गया। यह स्वतन्त्रता से लेकर अब तक दहेज प्रथा को रोकने की दिशा मैं सबसे बड़ा प्रयास था जिसे **दहेज प्रतिबन्ध अधिनियम (Dowry Prohibion Act)** 1961 के नाम से जाना जाता है। इस कानून के द्वारा वर या वधू पक्ष में से कोई भी विवाह से पहले, विवाह के दौरान या फिर विवाह के पश्चात् कोई सम्पत्ति नहीं दे सकते हैं। अगर इस कानून का उल्लंघन किया जाता है तो उल्लंघन कर्ता को सजा देने का प्रावधान है। विदित हो कि वर्तमान समय में देश में आए दिन ऐसे केस सामने आते हैं जिनमें कन्या पक्ष से शादी के समय या विवाहोपरांत दहेज मांग का उल्लेख होता है। दहेज मांगने वाले पति या उसके नजदीकी सम्बन्धियों, माँ–बाप व बहन आदि को दहेज की माँग करने पर सजा दी जाती हैं।

दहेज के विरुद्ध जानकारी
(Awareness against Dowry)

दहेज प्रथा के उन्मूलन के लिए कानून बनाकर, उसके बारे में लोगों को आगाह करवाकर तथा दहेज के विरुद्ध नारे प्रचारित–प्रसारित करके दहेज प्रथा को रोकने के प्रयास किए जाते रहे हैं।

दहेज प्रथा रोकने के लिए सुझाव
(Suggestions to Stop Dowry Practice)[24]

दहेज प्रथा को रोकने के लिए किए गए अब तक प्रयासों के बावजूद यह कुप्रथा रुकी नहीं । अतः और प्रयत्न किए जाने जरूरी हैं और कदम उठाए जाने को आवश्यकता है । दहेज कुप्रथा रोकने के लिए कुछ एक सुझाव निम्नवत् हैं

महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment)

दहेज देना मूलतः लडकी की विवाहोत्तर जीवन में आर्थिक सहायता करना है। उसे विवाह के पश्चात् दहेज के रूप में दी गई वस्तुओं और सप्पत्ति की आवश्यकता ही न पड़े यह सुनिश्चित करने के लिए उसे आर्थिक तौर पर स्वावलम्बी करना जरूरी है। ऐसी परिस्थितियाँ तैयार करनी आवश्यक हैं ताकि वह जीवन के अहम् फैसले लेने में सक्षम (Competent) हो । अर्थात् उसे आर्थिक रूप में अपने ऊपर निर्भर करना तथा निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करना अत्यावश्यक है। इसी तथ्य को वर्तमान समय में महिला सशक्तिकरण भी कहते हैं ।

शिक्षा (Education)

शिक्षा चाहे लड़कों की हो या लड़कियों की यह ऐसा ढंग है, तरीका है जिसके द्वारा उनके मत एवं सोच को प्रभावित किया जा सकता है। लड़कों को दहेज न लेने के लिए प्रेरित करना जरूरी है। उन्हें इस बात का अहसास दिलाना आवश्यक है कि दहेज न लेकर वे स्वाभिमानपूर्ण, समाज के सामने सिर उठाकर चल सकते हैं। दूसरी और लडकियों को भी यह समझाना आवश्यक है कि उन्हें अपने साथ दहेज ले जाने का लालच नहीं होना चाहिए। जिन माँ–बाप ने बड़े लाड़–प्यार से उन्हें

पाला, पढ़ाया उनसे दहेज ले जाकर वे उन्हें आर्थिक बोझ के तले न दबाएं ।

दहेज के विरुद्ध अभियान चलाना
(To Run Campaign Against Dowry)

सरकारी,गैर–सरकारी संगठनों (Governmental, Non-Governmental Organisations -NGOs) सामाजिक कार्यकर्ताओं, नेताओं, लोकमत निर्माण को (Public Opinion Makers) शिक्षकों, युवाओं, महिलाओं, पुरुषों, बुजुर्गों को दहेज लेने देने के विरुद्ध अभियान चलाना चाहिए। दहेज प्रथा जैसी बीमारी के विरुद्ध उन्हें रैलियों द्वारा तथा नुक्कड़ सभाओं द्वारा माहौल तैयार करना चाहिए ।

दहेज के लालचियों का भाण्डा फोड़ना
(To Expose Dowry Greedies)

दहेज के लालचियों के बारे में उनके समाज में काफी हद तक जानकारी होती है। दहेज लेने वालों की उनके समाज में निन्दा व चर्चा करनी चाहिए। उनके ऊपर व्यंग्य कसने चाहिए, ताने मारने चाहिए ताकि उन्हें यह महसूस हो कि उन्होंने दहेज लेकर कोई नेक कार्य नहीं किया। लेने वाले गरीब हों या अमीर वे इस सामाजिक बुराई की बढ़ावा देने के गुनाहगार हैं और समाज में वे प्रतिष्ठा के हकदार भी नहीं हैं ।

दहेज न लेने वालों को उत्साहित करना
(Encouragement of Non-Dowry Takers)

ऐसे बहुत–से विवाह होते हैं जिनमें दहेज नहीं लिया जाता है। विभिन्न सामाजिक संगठनों, पंचायती राज संस्थाओं को अपने स्तर पर उन परिवारों को उत्साहित करना चाहिए जिन्होंने दहेज न लिया हो। ऐसे परिवार के सदस्यों को जन आयोजनों में बुला कर सम्मानित करना चाहिए ताकि उन्हें समाज के अच्छे सदस्यों के रूप में लिया जाए । दूसरी ओर जिन्होंने दहेज लिया हो उनकी भर्त्सना करनी चाहिए।

दहेज को धर्म से न जोड़ना
(Not to Associate Dowry with Religion)

विवाह के दौरान कन्यादान के समय वर को कुछ उपहार–घडी, अंगूठी इत्यादि दी जाती है। यह उपहार बढते–बढते दहेज का रूप धारण कर गया। अतः अवश्यकता इस बात की है कि कन्यादान के समय दिए जाने वाले उपहार को दहेज के साथ न जोड़ा जाए । इसमें कोई धार्मिकता नहीं है यह बात स्पष्ट हो।

दहेज परम्परा के प्रभाव को बे–असर करना
(To do Away with the Impact of Dowry System)

प्रथाओं का व्यक्ति के ऊपर अपना एक दबाव होता है, प्रभाव होता है। दहेज प्रथा का भी लोगों के मन–मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव है, दबाव भी है। लोगों तक यह सन्देश पहुंचाना जरूरी है कि भले ही किसी भी परम्परा की उत्पत्ति भले के लिए हुई हो परन्तु जब वह प्रथा व्याधि (Disease) का रूप धारण कर लेती है, बीमारी की तरह फैल जाती है। समाज को रोगी बना देती है अस्वस्थ कर देती है तो इलाज आवश्यक हो जाता है। दहेज प्रथा से वर्तमान समय में कईं सामाजिक बुराइयां पनप चुकी हैं जैसे बेमेल विवाह, आत्महत्या, हत्या, हिंसा, विवाह–विच्छेद तथा घरेलू हिंसा इत्यादि। अतः अनेक सामाजिक समस्याओं की जननी जड़–दहेज प्रथा को जड़ से उखाड़ देना उचित है क्योंकि यह समाज के स्वास्थ्य के लिए घातक सिद्ध हो रही है ।

दहेज विरोधी कानून की सख्त अनुपालना
(Strict Adherence of Anti-Dowry Law)

दहेज विरोधी कानून के अनुसार दहेज लेना व देना दोनों अपराध हैं। जरूरत इस बात की है कानून, मात्र कानूनी दस्तावेज बनकर न रहे बल्कि की समाज में सही ढंग से, कड़ाई से लागू किया जाए।

दहेज प्रथा को कानूनन प्रावधान भी नहीं रोक पा रहे हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि सर्वप्रथम महिलाए शिक्षित हों, आर्थिक रूप से स्वावलम्बी हों, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, वैधानिक तथा नीति निर्माण सम्बन्धी फैसले लेने में उनकी भागीदारी बढ़ाई जाए। दहेज के लोभियों को अपमानित तथा दहेज न लेते वालों को सम्मानित किया जाए। कानून बना देना मात्र पर्याप्त नहीं है। दहेज प्रथा के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी आन्दोलन छेड़ना चाहिए । इसका प्रोत्साहन करने वालों को हतोत्साहित करना चाहिए।

निष्कर्ष

सहस्त्रों वर्षों से दहेज का विश्व के विभिन्न भागों में प्रचलन रहा है। दहेज लेने और देने के प्रति समाजों में अलग–अलग सोच रही है। आधुनिक भारत में दहेज एक कुरीति के रूप में उभर कर सामने आया। इस कुप्रथा के चलते महिलाओं के शोषण में वृद्धि हुई है। दहेज प्रथा के प्रचलन पर अंकुश लगाने के लिए भारत में समाजसुधारकों, स्वयंसेवी संगठनों तथा सरकार ने निरन्तर प्रयास किए हैं। इस सबके बावजूद इस प्रथा को रोका नहीं जा सका। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि राष्ट्र व्यापी जनान्दोलन चलाया जाए तथा दहेज रोकने के लिए पंचायती राज संस्थाओं, स्थानीय नेताओं एवं सरकार द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए जिससे कि दहेज प्रथा को जड़ से समाप्त किया जा सके।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. जटिल समाज में दहेज स्सिटम स्टीवन Harrel और साराएडिकी,http://www.joster.org/stable/377335 53,मानव जाति विज्ञान, वॉल्यूम। 24, नम्बर 2 (अप्रैल 1985), पृष्ठ 105–110
2. जॉन एल Comeroff (1981), नियमों और प्रक्रियाओं, शिकागो प्रैस विश्वविद्यालय आई एस बी एन 0.226.11424.4 अध्याय 6 देखें।
3. एंडरसन एस (2007) में "दहेज और bride price के अर्थशास्त्र" आर्थिक परिप्रेक्ष्य के जर्नल, 21(4), पृष्ठ 151-174।
4. चार्ल्स Mwalimu (2007), नाईजीरिया की कानूनी प्रणाली : पब्लिक लॉ, खंड 1 (ISBN 978-0-8204-7125-9), पृष्ठ 546-554।
5. "Don Magnifico wishes to make his daughters dowry larger, to attract a grander match, which is impossible if he most provide a third dowry."–Marina Warner, From the Beast to the Blonde: On Fairy Tales and Their Tellers, pp 213-4 ISBN 0-374-15901-7.
6. Nigel Guy Wilson, "Dowry". Encyclopedia of Ancient Greece, 2002.
7. "The dowry was property transferred by the bride or on behalf by anyone else to the from or

groom's father at their marriage." –Rogers, et. al (Editor), The Encyclopedia of Ancient History see Article on Dowry, Roman; ISBN 978-1-4051-7935-5 Dec. 2011.
8. Ferraro, Gary p., and Susan Andreatha (2009), cultural Anthropology : An Applied Peerspective cengage Learning p. 224 ISBN 9780495601920
9. Mangan, Jane E. (2005), Trading roles: gender and the Urban Economy in colonial Period. Duke University Press p. 127 ISBN 975082 234705.
10. Nazzari, Muriel (1991), Disappearance of Dowry; Women Family and Social change in 590 Poulo Brazil (1600-1900), Stanford University Press, P-63, ISBN 9780804719285.
11. Building Assets for safe Productive Lives (2005) Girls Population Council, New York, pp 17-19.
12. Jumpup Brown, P.H. (2009) Dowry and Intrahousehold Bargaining Evidence from China. Journal of Human Resources, 44(1), 25-46.
13. In Bangladesh…. Beatings and other abuses related to dowries are repored to police. – Annual Report: Bangladesh 2010, Amnesty International, 2010.
14. Ansari, As, Bazamee (1978), 'Is Dowry obligatory & Hamdard Islamics (2) : 78-84.
15. Peter; Blood (2004), Family Afganistan A Country Study, Library of Congress, ISBN 9781419104985.
16. Retrieved on Nov. 27, 2015
17. Tambiah, Stanley, Goody Jack (1973) Bridewealth and Dowry, Cambridge U.K., Cambridge University Press, pp. 68-69
18. Edward Sachan (Translator), Biruni M.A. Alberuni's India (Vol. 2), Trubner & Co., London (1910), Chapter Lxx 11:164
19. Accessed on Nov., 27, 2015
20. Paras Diwan and Peeyushi Diwan (1997), Law Relating to Dowry, Dowry Deaths, Bride Burning, Rape and Related Offences. Delhi: Universal Law Pub. Co. p. 10.
21. Ibid
22. Ibid
23. Surroch Sujit and Surroch Anita (2016) : Social Problems in India Modern Publishers, Jalandhar, pp. 55-57
24. Ibid